



77/2017

19-4-18

वकील प्रार्थीगण के प्राप्ति वास्तु मिसल तलब करने
 की प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज तलब की गई।
 वकील प्रार्थी ने प्राप्ति अन्तर्गत कोर्टा 23 लिम्स। स्पाईट
 धारा 151 जा.सी. तथा प्राप्ति अन्तर्गत धारा 151 जा.सी.
 प्रस्तुत कर अप्रार्थी/प्रति. सं. 10 से 29 के विकटु कोर्ट
 अनुतोष नहीं चाहते से उन्हे प्रकरण में प्रसकार मुकदमा
 नहीं रखना चाहते हैं तथा अप्रार्थी सं. 8 व 9 के
 सही पत्र प्रस्तुत कर पुराने पत्र को पुस्तक किये
 जाने का विवेक किया। वकील प्रार्थीगण को
 सुना गया। बाद अवलोकन प्राप्ति स्वीकार किये
 जाते हैं तदनुसार वकील प्रार्थीगण संशोधित उत्तर
 पेश करें। अतः वकील प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण
 सं. 2 से 9 के रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलबाना
 पेश करने जो पेश होने पर जारी हो। मिसल दिनांक
 18-06-18 को कैम्प सरवीना में पेश हो।

पीयूष समारिया
 उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
 व्यावर

15/5/18

उच्च सरकार के आदेशानुसार राजस्व लोक अदालत में रखने हेतु प्रकरण आज
 नम्बर पर शिवा बन्ध। इस हेतु पक्षकारान को नोटिस जारी हो। मिसल
 कैम्प..... सरवीना..... में दिनांक 18/6/18 को पेश हो।

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
 व्यावर

18-6-18
 W. H. H. H.
 M. H. H. H.

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट
 सरवीना में पेश हुई। प्रार्थी नरेन्द्र सिंह व अप्रार्थी
 लक्ष्मण सिंह स्वयं उपस्थित। प्रार्थी ने संशोधित उत्तर
 पेश किया जो आज मिसल बंदे। उपस्थित प्रसकारान ने
 अस्थाई निषेधाज्ञा वाक्य निकाल फिदा तथा तोकिसला
 वाद तक दोनों पक्षा को पाबंद किये जाने का निवेदन
 किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन
 प्राप्ति स्वीकार किया जाता है तथा उभयपक्षान को जरिफ
 अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे
 वास्तु अस्थाई वाक्य ग्राह नकरवा की जाते हैं।